


समय पत्र-जम्हरे

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937

No. 635]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 781(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड को अधिसूचित करती है:

परंतु आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा, उसके द्वारा किए गए पूर्वोक्त कार्य की बाबत सृजित डाटा राज्य सरकार को दे दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 16/08/2015-एम VI]

आर श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2015

G.S.R. 781(E).—In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act:

Provided that the Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited shall make over the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 16/08/2015-M.VI]

R SRIDHARAN, Addl. Secy.